(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4294–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2014 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक सातनेर तहसील आठनेर जिला बैतूल, प्रकरण कमांक 4/रा0नि0/2014.

.....

रामजी व शंकर नरवरे
निवासी ग्राम कोपरा तहसील आठनेर
जिला बैतूल

..... आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन ..... अनावेदक

.....

श्री आर0के0जैन, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक सातनेर तहसील आठनेर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक सातनेर तहसील आठनेर जिला बैतूल के समक्ष कृषि भूमि मौजा कोपरा स्थित सर्वे नम्बर 133/2 रकबा 1.720 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 31–7–2014 को सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 28–11–16 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगें, परन्तु आवेदक के अभिभाषक द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये

हैं, इसलिये निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है और न ही पूर्व से विद्यमान है, अतः सीमांकन में रास्ता दर्शाया जाना अवैधानिक कार्यवाही है।

(2) प्रश्नाधीन सीमांकन में रास्ता दर्शाये जाने से आवेदक की भूमि नष्ट होगी एवं फसल को नुकसान होगा ।

(3) दिनांक 17–6–2014 को राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सीमांकन पंचनामा बनाया गया है, जिस पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर है और उक्त पंचनामें में रास्ता नहीं दर्शाया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन प्रकरण में मूल फील्डबुक नक्शा एवं पंचनामा संलग्न नहीं है और राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकन उभयपक्ष एवं पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में नहीं किया गया है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश वैधानिक एवं न्यायिक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक सातनेर तहसील आठनेर जिला बैतूल द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 31–7–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक की भूमि एवं सरकारी रास्ते दोनों का विधिवत् स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर